

अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं पीठासीन अधिकारी  
नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक-25 धरमपुरी जिला धार मध्यप्रदेश

(समक्ष:-अनिल चौहान)

Registration No- MACC/144/2022

Filing No/310/2022

CNR No. MP 11080019562022

Filing Date- 11-10-2022

सुखदेव पिता गंगाराम  
आयु 35 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी करना  
निवासी-मांगबयड़ा (दहीवर), तहसील धरमपुरी  
तहसील धरमपुरी, जिला धार, म.प्र.

.....आवेदक

**:: विरुद्ध ::**

1- गोरेलाल पिता बाबुल खान  
आयु 37 वर्ष, व्यवसाय ड्रायवरी  
निवासी-बेगंदा रोड़ वार्ड नम्बर-13 धामनोद,  
तहसील धरमपुरी, जिला धार, म.प्र.

2- मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
द्वारा एरिया प्रबन्धक  
पांचवी मंजिल इण्डस्ट्री हाउस, इंदौर, म.प्र. ....अनावेदकगण

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| आवेदक की ओर से             | :- श्री एस.एल. यादव अधि०।  |
| अनावेदक क्रमांक 1          | :- एकपक्षीय।               |
| अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से | :- श्री डी०जे० शर्मा अधि०। |

**अ वा र्द**

( आज दिनांक 09-12-2023 को पारित किया गया )

1- आवेदक द्वारा यह प्रतिकर आवेदन पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166, 140 के तहत वाहन दुर्घटना में सुखदेव को आई चोंटों के फलस्वरूप प्रतिकर के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2- उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत समझौता डाकेट आवेदन-पत्र विधिक होकर

लोकनीति के विरुद्ध नहीं है। उभयपक्ष समझौता करने के लिए समक्ष होकर उभयपक्ष ने स्वैच्छया से समझौता होना स्वीकार किया है। अतः समझौता डाकेट आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अनावेदक क्रमांक-2 अवार्ड दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त अवार्ड राशि 1,50,000/- रुपये अक्षरी एक लाख पचास हजार रुपये आवेदक को अदा करें।

3- अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उक्त राशि अदा करने पर आवेदक द्वारा व्यय की गई अत्यधिक राशि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को राशि 1,50,000/- रुपये अक्षरी एक लाख पचास हजार रुपये बचत खाते के माध्यम से अदा किये जायें।

4- अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उक्त राशि नियत अवधि के भीतर अदा नहीं करने पर अनावेदक क्रमांक 2, आवेदक को अवार्ड राशि 1,50,000/- रुपये अक्षरी एक लाख पचास हजार रुपये पर अवार्ड दिनांक से अदायगी दिनांक तक 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करेगा।

5- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें। व्यय सारणी बनाई जावें।

6- अवार्ड की एक निःशुल्क प्रतिलिपि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 को प्रदान की जायें

हस्ताक्षर

लोकेन्द्र देवड़ा अधिवक्ता  
सदस्य

हस्ताक्षर

सही/-

अनिल चौहान  
अति. सदस्य मोटर दु.दावा  
अधिकरण धरमपुरी एवं पीठासीन  
अधिकारी खण्डपीठ क्र. 25  
धरमपुरी, जिला धार